



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126522

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 19277/2026

असलम

.....आवेदक

बनाम

यूपी राज्य

.....विपक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : संतोष कुमार तिवारी

विपक्ष के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या-5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. तिवारी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री प्रकाश वीर त्रिपाठी और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. यह जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 105 सन् 2026, धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(2), 109(1), 190 बीएनएस, पुलिस थाना -मुंडाली, जिला-मेरठ के तहत दायर की गई है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

3. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, पानी के बहाव को लेकर दो गुटों के बीच विवाद हुआ, जिसके चलते दोनों गुटों ने पुलिस की मौजूदगी में एक-दूसरे पर लाठी, डंडा और लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे चोटें आईं। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है। केवल एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसका चिकित्सकीय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



परीक्षण किया गया और चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार, उसे दो मामूली चोटें आई हैं। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 7 मई 2026 से जेल में बंद है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि चोटें गंभीर प्रकृति की हैं।

5. अपराध की प्रकृति, मामले के सभी संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपी की सह-अपराधिता सजा की गंभीरता, आवेदक की भूमिका को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध कर दिया है। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. उपर्युक्त मामले में अपराध में संलिप्त आवेदक-**असलम** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक किसी ऐसे अपराध को न तो करेगा और न ही उसमें भाग लेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक को यह परिवचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित दिनांक पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त हेतुक के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी (अनुरूप धारा 269 बीएनएस) के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआर.पी.सी. (अनुरूप धारा 84 बीएनएसएस) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित दिनांक पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार धारा 174-ए आईपीसी (अनुरूप धारा 209 बीएनएस) के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामले की सुनवाई शुरू होने, (2) आरोप तय होने और (3) धारा 313 सीआर.पी.सी. (धारा 351 बीएनएसएस के अनुरूप) के तहत बयान दर्ज होने के लिए निर्धारित दिनांकों पर उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त हेतुक के बिना है, तो विचारण न्यायालय इस व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

10 जून, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।